आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16.5.18	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा** Miss Appeal Case no. 01/2017-18 अखिलेश सिंह एवं अन्य बनाम सरकार **आदेश** प्रस्तुत वाद Miss Appeal Case no. 01/2017-18 में अखिलेश सिंह द्वारा जामताड़ा जिले में धारित बालू घाटों से विभागीय कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से बालू के उठाव को रोकने हेतु दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री अखिलेश सिंह प्रखण्ड नारायणपुर के झिलुवा पंचायत के बालू घाटों के बंदोबस्ती प्राप्तकर्त्ता हैं, बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 के लिए हुआ था। अपीलकर्त्ता ने अपने अपीलीय आवेदन से माँग किया है कि (i) सभी कार्यकारी विभाग, जो विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराने हेतु अपने संवेदकों को बालू का प्रयोग करने एवं प्रयुक्त बालू का चालान की अनुपलब्धता की स्थिति में Double Royalty लेकर विपत्र स्वीकार करने का कार्य करते हैं, को रोका जाय। क्योंकि इससे अवैध बालू खनन को बढ़ावा मिलता है। (ii) जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाय कि बालू का अवैध खनन को रोकें। सहायक खनन पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि बालू का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण न हो। साथ ही सभी कार्यकारी एजेंसी को भी निदेश दिया जाता है कि संवेदकों को निदेशित करें कि वैध चालान के आधार पर ही बालू की प्राप्ति कर निर्माण कार्यों में प्रयोग करें। अन्यथा उपयोग किये गये खनिज के स्वामित्व के साथ दण्डात्मक राशि वसूली उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना सं0–2852/एम0 दिनांक–12.12.2017 के आलोक में किया जाय। उपरोक्त निदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। Aeanand 16/5/2018 उपायुक्त, जामताड़ा।	DB/III